तृतीय झारखण्ड विधान-सभा का त्रयोदश (बजट) सत्र

सत्र-विवरणिका

1. **सत्र का आहवान एवं सभा की बैठकें**

तृतीय झारखण्ड विधानसभा के त्रयोदश (बजट) सत्र का आह्वान दिनांक - 09.02.2014 को हुआ जिसमें दिनांक-19 फरवरी, 20 फरवरी, 21 फरवरी, 22 फरवरी, 24 फरवरी, 25 फरवरी, 26 फरवरी, 03 मार्च, 04 मार्च एवं 05 मार्च, 2014 को सभा की (कुल-10) बैठकें हुईं।

2. **सत्र का आरम्भ**

झारखण्ड विधानसभा का त्रयोदश (बजट) सत्र का आरम्भ दिनांक 19.02.2014 को 11.00 बजे पूर्वा0 में माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधानसभा के प्रारम्भिक सम्बोधन से हुआ।

3. **राज्यपाल का अभिभाषण**

दिनांक–19.02.2014 को माननीय राज्यपाल का अभिभाषण हुआ।

आसन से माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के संदर्भ में संशोधन दल के नेता/अधिकृत सदस्य द्वारा दिनांक - 19.02.2014 के 3.00 बजे अप0 तक दिये जाने की सूचना दी गयी।

दिनांक-20.02.2014 को श्री संजय प्रसाद यादव, स0वि0स0 द्वारा महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसका समर्थन श्री लोबिन हेम्ब्रम, स0वि0स0 द्वारा किया गया। चर्चा के उपरांत प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

4. **सभापति का मनोनयन**

झारखण्ड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 10(1) के तहत् त्रयोदश (बजट) सत्र के लिए माननीय सदस्य – (1) श्री लोबिन हेम्ब्रम (2) श्री फूलचन्द मण्डल (3) श्री रघुवर दास (4) श्री सौरभ नारायण सिंह एवं (5) श्री जनार्दन पासवान को वर्त्तमान सत्र हेतु सभा का सभापति मनोनीत किया गया।

5. **समितियों का गठन**

झारखण्ड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 224(1) के तहत् त्रयोदश (बजट) सत्र के लिए कार्यमंत्रणा समिति का गठन निम्न प्रकार किया गया –

श्री शशांक शेखर भोक्ता, अध्यक्ष, सभापति तथा (1) श्री हेमन्त सोरेन, मुख्यमंत्री (2) श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, मंत्री (3) श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, मंत्री (4) श्री अर्जुन मुण्डा, नेता

प्रतिपक्ष (5) श्री प्रदीप यादव स0वि0स0 एवं (6) श्री सुदेश कुमार महतो स0वि0स0 सदस्य मनोनीत किये गये।

विशेष आमंत्रित सदस्य - (1) श्री गोपाल कृष्ण पातर, स0वि0स0 (2) श्री विनोद कुमार सिंह, स0वि0स0 (3) श्री विदेश सिंह, स0वि0स0 (4) श्रीमती गीता कोड़ा, स0वि0स0 (5) श्री बंधु तिर्की, स0वि0स0 (6) श्री अरूप चटर्जी, स0वि0स0 (7) श्री लोबिन हेम्ब्रम, स0वि0स0 (8) श्री रघुवर दास, स0वि0स0 (9) श्री अरविन्द कुमार सिंह, स0वि0स0 एवं (10) श्री सरफराज अहमद, स0वि0स0।

नियमानुसार माननीय अध्यक्ष महोदय समिति के सभापति और सभा सचिव इसके सचिव होते हैं।

6. अनुमत विधेयक

सभा के गत सत्र में स्वीकृत तथा महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमत निम्न विधेयकों की प्रति सभा सचिव द्वारा सभा पटल पर रखी गई –

क्र0 सं0	अनुमत विधेयक का नाम	अनुमति की तिथि	अधिनियम संख्या
1.	झारखण्ड विनियोग (संख्या-04) विधेयक, 2013	20.12.2013	05/2013
2.	झारखण्ड आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2013	20.01.2014	01/2014
3.	झारखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2013	10.02.2014	02/2014

7. प्रश्नकाल

इस बजट सत्र में 263 अल्पसूचित प्रश्न स्वीकृत हुए जिसमें कुल 235 प्रश्नों के उत्तर विभाग से प्राप्त हुए। सभा में कुल 17 प्रश्न उत्तरित तथा 246 प्रश्न अनागत हुए।

इस सत्र में कुल 396 तारांकित प्रश्न स्वीकृत हुए जिसमें कुल 354 प्रश्नों के उत्तर विभाग से प्राप्त हुए। कुल 16 प्रश्न उत्तरित तथा 380 प्रश्न अनागत हुए।

इस सत्र में कुल 151 अतारांकित प्रश्न स्वीकृत हुए।

8. शून्यकाल

दिनांक	सूचना की संख्या
20.02.2014	23
21.02.2014	21
22.02.2014	21
24.02.2014	21
25.02.2014	28

26.02.2014	30
03.03.2014	19
04.03.2014	25
05.03.2014	25
कुल	**213**

इस प्रकार इस सत्र में माननीय सदस्यों के कुल - 213 शून्यकाल की सूचनाएँ पढ़ी गईं अथवा पढ़ी गई मानी गयीं ।

9. <u>मुख्यमंत्री प्रश्नकाल</u>

मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में माननीय सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछे गये प्रश्न, जिनके मौखिक उत्तर मुख्यमंत्री द्वारा सभा में दिये गये, वे इस प्रकार हैः-

दिनांक	क्र0 सं0	माननीय सदस्य	संक्षिप्त विषय
24.02.2014	1.	श्री अरूप चटर्जी	सशक्त लोकायुक्त के सम्बन्ध में।
	2.	श्री चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह	बी0पी0एल0 तथा ए0पी0एल0 कार्ड के सम्बन्ध में।
	3.	श्री रघुवर दास	अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति को आरक्षण के सम्बन्ध में।
	4.	श्री नवीन जयसवाल	एच0ई0सी0 के विस्थापितों के पुनर्वास के सम्बन्ध में।
	5.	श्री जगरनाथ महतो	पारा शिक्षकों को सरकारी शिक्षक की तरह वेतन एवं अन्य सुविधा देने के सम्बन्ध में।
	6.	श्री समरेश सिंह	बोकारो स्टील सिटी के विस्थापितों को सुविधा देने में डी0पी0एल0आर0 को स्वतंत्र रूप से कार्य करने देने के सम्बन्ध में।
	7.	श्री कमलेश सिंह	वित्तीय वर्ष 2013-14 में लिये गये पुल-पुलिया के सम्बन्ध में।
	8.	श्री विनोद कुमार सिंह	झारखण्ड प्रशासनिक न्यायाधिकरण के गठन के सम्बन्ध में।
	9	श्री बन्ना गुप्ता	अवैध जल शुल्क की वापसी के सम्बन्ध में।
	10.	श्री विद्युत वरण महतो	नया इंदिरा आवास के सम्बन्ध में।
	11.	श्री अनन्त प्रताप देव	पलायन के कारण मजदूरों की मृत्यु के संदर्भ में।
	12.	श्री निर्भय कुमार शाहाबादी	नौकरी में उम्र सीमा में छूट के सम्बन्ध में।
	13.	श्री दीपक बिरूवा	एस0सी0/एस0टी0 स्क्रूटनी समिति का गठन करने के सम्बन्ध में।
	14.	श्री बंधु तिर्की	आलिम-फाजिल की परीक्षा विश्वविद्यालय से लेने के सम्बन्ध में।
	15.	श्री उमाशंकर अकेला	जनवितरण प्रणाली के वितरक को मानदेय के सम्बन्ध में।
03.03.2014	1.	श्री रामचंद्र बैठा	सभी वर्ग के छात्रों का साईकिल दिये जाने के सम्बन्ध में।

	2.	श्री गुरूचरण नायक	प्रोजेक्ट विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को स्थायी किये जाने के सम्बन्ध में।
	3.	श्री प्रदीप यादव	राज्य में भ्रष्टाचार निरोधक कानून लागू किये जाने के सम्बन्ध में।
	4.	श्री जगरनाथ महतो	कृषि को उद्योग का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में।
	5.	श्री सत्यानन्द झा	संथाल परगना में घटवार/भुईयाँ जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में।
	6.	श्री कमल किशोर भगत	समता जजमेंट को लागू किये जाने के सम्बन्ध में।
	7.	श्री कमल किशोर भगत	राशन बिक्रेताओं के कमीशन में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।
	8.	श्री चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह	मगही, भोजपुरी, मैथिली एवं अंगिका को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में।
	9	श्री विनोद कुमार सिंह	राज्य आवास योजना के तहत् गरीबों को आवास दिये जाने के सम्बन्ध में।
	10.	श्री हरिकृष्ण सिंह	आदिवासियों के ऊपर किये गये मुकदमों को वापस किये जाने के सम्बन्ध में।
	11.	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टेन	शिक्षकों की वरीयता निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।
	12.	श्रीमती विमला प्रधान	राज्य में महिला नीति लागू किये जाने के सम्बन्ध में।
	13.	श्री विष्णु प्रसाद भैया	जामताड़ा में ट्रांसफॉर्मर लगाये जाने के सम्बन्ध में।
	14.	श्री अरूण मण्डल	तीन मोटर बोट की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।
	15.	श्री समरेश सिंह	राज्य में तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में।
	16.	श्री नवीन जयसवाल	माननीय विधायकों/मंत्रियों के निजी कर्मियों का स्थायीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।
	17.	श्री अरूप चटर्जी	पथ परिवहन निगम बनाकर पूरे राज्य में बस सेवा चालू किये जाने के सम्बन्ध में।
	18.	श्री बन्ना गुप्ता	निजी अस्पतालों में निर्धनों के लिए बेड आरक्षित किये जाने के सम्बन्ध में।

10. <u>ध्यानाकर्षण सूचना</u>

इस सत्र में माननीय सदस्यों द्वारा कुल 91 ध्यानाकर्षण सूचनाएँ दी गयीं जिसमें कुल 44 ध्यानाकर्षण सूचनाएँ सभा में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गई । सरकार द्वारा कुल 29 ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर वक्तव्य सभा में दिया गया। शेष 15 ध्यानाकर्षण सूचनाएँ प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को जाँच एवं प्रतिवेदन हेतु सौंपा गया ।

11. <u>कृत कार्रवाई प्रतिवेदन (A.T.R.) का सभा-पटल पर रखा जाना</u>

दिनांक 19.02.2014 को संसदीय कार्य मंत्री द्वारा कार्य संचालन नियमावली के नियम 244(2) के अधीन तृतीय झारखण्ड विधानसभा के द्वादश सत्र में विभिन्न विषयों

पर सरकार द्वारा दिये गये आश्वासनों से सम्बन्धित कृत कार्रवाई प्रतिवेदन (A.T.R.) की एक प्रति सभा-पटल पर रखी गयी ।

12. सभा मेज पर कागजात रखा जाना

दिनांक	विषय	भारसाधक सदस्य
03.03.2014	झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग का वर्ष - 2003-04 से 2011-12 तक के पृथक लेखा प्रतिवेदन की प्रति।	वित्त मंत्री
04.03.2014	भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का राज्य वित्त एवं राजस्व क्षेत्र प्रतिवेदन 2012-13 तथा शहरी स्थानीय निकाय सम्बन्धित प्रतिवेदन 2010-11 की प्रति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का राज्य वित्त एवं राजस्व क्षेत्र प्रतिवेदन 2012-13 तथा शहरी स्थानीय निकाय सम्बन्धित प्रतिवेदन 2010-11 की प्रति।	वित्त मंत्री

13. समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

दिनांक	प्रतिवेदन	सभापति
25.02.2014	दिनांक-24.02.2014 को सम्पन्न कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के प्रतिवेदन पर सभा की सहमति का प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री अरविन्द कुमार सिंह द्वारा रखा गया जिस पर सभा की सहमति हुई।	
04.03.2014	शून्यकाल की सूचनाओं से सम्बन्धित प्राप्त उत्तरों की संकलित प्रति।	सभा सचिव
	सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का 11वाँ प्रतिवेदन।	श्री विद्युत वरण महतो

14. सभा को सूचना का दिया जाना

दिनांक-22.02.2014

1. संसदीय कार्य मंत्री, श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह ने विधायक निधि को विमुक्त किये जाने सम्बन्धी सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्गत पत्र में उल्लिखित तथ्यों से सदन को अवगत कराया।

2. माननीय मंत्री, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि माननीय सदस्यों तथा सरकारी कर्मियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के प्रावधान को और व्यापक बनाने की दृष्टि से पूर्व में निर्धारित अस्पतालों के अतिरिक्त राज्य के अन्दर एवं बाहर के कई अन्य अस्पतालों को भी मान्यता प्रदान की गयी है। माननीय मंत्री द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि दिनांक- 25.02.2014 को झारखण्ड विधान-सभा परिसर में स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया है जिसमें सभी माननीय सदस्यों से शामिल होने हेतु अनुरोध किया गया।

<u>दिनांक-24.02.2014</u>

1. आसन द्वारा विधायकों के आवास निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराने सम्बन्धी कार्रवाई की अद्यतन स्थिति से सदन को अवगत कराने के संदर्भ में आसन के निदेश के क्रम में संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिनांक- 25.02.2014 को 4.00 बजे सदन को अवगत कराये जाने की सूचना दी गई।

15. <u>आसन से नियमन / निदेश</u>

<u>दिनांक-21.02.2014</u>

1. श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, स0वि0स0 द्वारा आसन के संज्ञान में लम्बित आश्वासनों के कार्यान्वयन में विभागीय शिथिलता का मामला लाया गया जिस पर आसन द्वारा गत सत्र के लम्बित प्रश्नों के उत्तर एवं आश्वासन के कार्यान्वयन के प्रति विभागों को सचेष्ट करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री को निदेश दिया गया।

<u>दिनांक - 22.02.2014</u>

1. अन्य राज्यों में जहाँ भी झारखण्ड राज्य के लोगों के साथ मारपीट/दुर्व्यवहार होता है, वहाँ के राज्य सरकार को झारखण्ड सरकार द्वारा कड़ा निन्दा प्रस्ताव प्रेषित किया जाय।
2. माननीय सदस्य श्री फूलचन्द मण्डल ने एकीकृत बिहार में श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा वर्ष 1982 में नियुक्ति सम्बन्धी बनाये गये नियम को झारखण्ड राज्य में लागू किये जाने की मांग रखी जिसमें वर्ग 3 एवं 4 के पदों पर नियुक्ति के लिए स्थानीय नागरिकों को प्राथमिकता देने का प्रावधान है। स्थानीयता की परिभाषा क्या होगी, इसका भी उसमें दिशा-निर्देश निहित है। आसन द्वारा अवगत कराया गया कि स्थानीयता नीति पर सदन में सरकार द्वारा दिनांक 25.02.2014 को स्थिति स्पष्ट की जायेगी।

3. माननीय सदस्य श्री निर्भय कुमार शाहाबादी द्वारा शून्यकाल की सूचना में निर्धारित सीमा से अधिक शब्दों का प्रयोग करने के संदर्भ में आसन द्वारा निर्धारित शब्दों में ही शून्यकाल की सूचनायें दिये जाने का नियमन दिया गया।
4. अल्पसूचित प्रश्न संख्या-54 का उत्तर गलत देनेवाले पदाधिकारी को चिन्हित कर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

दिनांक-24.02.2014

1. अल्पसूचित प्र0 सं0-72 के संदर्भ में राज्य के सभी अनुमण्डल में अग्निशमन सेवा स्थापित करने का नियमन आसन द्वारा दिया गया।
2. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा आपदा प्रबंधन विभाग का प्रतिवेदन नहीं आ सकने पर इन विभागों की मांगे दिनांक-26.02.2014 को लिये जाने सम्बन्धी निदेश आसन द्वारा दिया गया।
3. आसन द्वारा सरकार को निदेश दिया गया कि किसानों को धान बेचने के लिए किसी प्रकार प्रतिबंध नहीं लगाया जाय।
4. हजारीबाग के ईचाक में फसल की बर्बादी के संदर्भ में यदि मुआवजा 18/-रू0 प्रति एकड़ की अनुशंसा की गयी है तो उस पदाधिकारी को चिन्हित कर कार्रवाई की जाय।

दिनांक-25.02.2014

1. आसन द्वारा निदेश दिया गया कि तारांकित प्रश्न सं0 -11 के उत्तर के संदर्भ में हाथियों के उत्पात से ध्वस्त मकानों के मुआवजा भुगतान के सम्बन्ध में सरकार का जो भी निर्णय होगा वह आज दिनांक-25.02.2014 से ही लागू होगा।
2. माननीय सदस्य श्री अरविन्द कुमार सिंह के अल्प सूचित प्रश्न संख्या-92 से संदर्भ में उल्लिखित विद्यालय में शौचालय की स्थिति की जाँच के लिए एक विभागीय पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त करने तथा माननीय प्रश्नकर्त्ता सदस्य को भी साथ में रखने का निदेश आसन द्वारा दिया गया।
3. आसन द्वारा यह नियमन दिया गया कि सदन में यदि समय पर मंत्री नहीं आते हैं तो सदन स्थगित कर दिया जायेगा।

दिनांक-03.03.2014

1. विधानसभा अध्यक्ष, माननीय मंत्रियों एवं माननीय सदस्यों को दी जानेवाली सुरक्षा एवं निर्धारित प्रोटोकॉल प्रदान नहीं किया जाना सदन की अवमानना मानते हुए माननीय संसदीय कार्य मंत्री को दिनांक-05.03.2014 को सदन में

स्थिति स्पष्ट करने हेतु आसन से निदेश दिया गया। वस्तुस्थिति स्पष्ट नहीं होने पर राज्य के मुख्य सचिव सीधे-सीधे जिम्मेवार होंगे।

2. माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव ने भारत सरकार द्वारा जारी गजट/सूचना में पोड़ैयाहाट को 'पोड़ैया' तथा सरैयाहाट को 'सरैया' प्रकाशित किये जाने की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया तथा उन्होंने इसमें आवश्यक सुधार हेतु अनुरोध किया।

3. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में कथित अनियमितता की जाँच के संबंध में संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सदन की विशेष समिति से इसकी जाँच कराने की मांग पर आसन द्वारा नियमन दिया गया कि इसकी जाँच के लिए एक विशेष समिति गठित की जायेगी।

16. <u>निवेदन</u>

इस सत्र में प्राप्त निवेदनों की कुल संख्या 78 थीं जिन्हें नियम 263(1) के तहत् विभागों को भेजने पर सभा की सहमति हुई।

17. <u>वित्तीय कार्य</u>

<u>दिनांक - 20.02.2014</u>

(1) मंत्री प्रभारी, वित्त द्वारा वित्तीय वर्ष - 2013-14 के लिए 31 मार्च, 2014 को समाप्त होनेवाले वर्ष के भीतर शोधन के दौरान आनेवाले भारों के वहन के लिए 1448 करोड़, 61 लाख, चौरासी हजार रूपये का तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन किया गया तथा आसन द्वारा उक्त तिथि को 5.00 बजे अप0 तक कटौती प्रस्ताव प्राप्त किये जाने सम्बन्धी सूचना सदन को दी गई।

<u>दिनांक–21.02.2014</u>

(1) वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2013-14 का आर्थिक सर्वेक्षण तथा सरकार की वित्तीय नीतियों एवं मध्यावधि वित्तीय योजना वर्ष 2013-14 की प्रति सभा-पटल पर उपस्थापित की गयी।

(2) माननीय वित्त मंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक (बजट) विवरण सभा पटल पर उपस्थापित किया गया ।

(3) श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, वित्त मंत्री द्वारा तृतीय अनुपूरक व्यय-विवरणी में सम्मिलित "मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग" से सम्बन्धित माँग पेश की गयी। श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, स0वि0स0 द्वारा कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया। चर्चा के उपरांत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ एवं मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की मांग सभा द्वारा स्वीकृत

की गई। तत्पश्चात् अनुपूरक अनुदान में शामिल शेष विभागों की अनुदान मांगें सभा द्वारा गिलोटिन के माध्यम से स्वीकृत की गयीं।

दिनांक–22.02.2014

(1) वित्तीय वर्ष - 2014-15 के आय-व्यय पर सामान्य वाद-विवाद का प्रारम्भ माननीय सदस्य श्री रघुवर दास द्वारा किया गया जिसमें दीपक बिरूवा, प्रदीप यादव, बन्ना गुप्ता एवं श्री उमाशंकर अकेला ने भाग लिया।

18. अनुदानों की मांग पर चर्चा एवं पारित किया जाना

वर्ष 2013-14 के अनुदानों की मांग निम्न तिथियों को सभा में पेश की गई एवं चर्चा के उपरांत पारित किया गया –

क्र0सं0	विभाग	तिथि
01.	मानव संसाधन विकास विभाग	25.02.2014
02.	स्वास्थ्य. चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	26.02.2014
03.	ग्रामीण विकास विभाग	03.03.2014
04.	मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग	04.03.2014

19. विधायी कार्य

इस सत्र में पारित कुल विधेयकों का विवरण निम्न प्रकार से हैः –

सभा में उपस्थापन एवं पारित होने की तिथि	विधेयक
21.02.2014	झारखण्ड विनियोग (संख्या-01) विधेयक, 2014
05.03.2014	झारखण्ड विनियोग (संख्या-02) विधेयक, 2014

20. अन्यान्य

1. दिनांक-20.02.2014 को विपक्ष के अधिकांश माननीय सदस्यों द्वारा पूर्व मंत्री श्री चन्द्रशेखर दूबे की बर्खास्तगी पर सरकार से स्पष्टीकरण की मांग की गई। साथ ही झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के माननीय सदस्य श्री जगरनाथ महतो, श्री विद्युत वरण महतो, श्री रामदास सोरेन, श्री हेमलाल मुर्मू के अलावे श्री बंधु तिर्की द्वारा स्थानीय नीति लागू करने की मांग की गई। स्थानीय नीति लागू करने के सम्बन्ध में की जा रही कार्रवाई से संसदीय कार्यमंत्री, श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह ने सदन को अवगत कराया।

2. दिनाक-21.02.2014 को भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य द्वारा अखबार में प्रकाशित समाचार सम्बन्धी विषय की जाँच एस0आई0टी0 से कराने की मांग

की गई। आसन द्वारा बताया गया कि इस विषय की जाँच सी0बी0आई0 द्वारा की जा रही है तो अन्य एजेंसी से जाँच की मांग किया जाना अनुचित है। माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव ने भी अखबार में प्रकाशित समाचार सम्बन्धी विषय को गम्भीर बताया।

21. <u>शोक प्रकाश</u>

दिनांक–19 फरवरी, 2014 को विगत् सत्र और इस सत्र के बीच दिवंगत हुए राजनेताओं, समाजसेवियों, साहित्यकारों एवं कलाकारों यथा –स्व0 सुधीर महतो, प्रशांत कुमार घोष, शीशराम ओला, धनंजय महतो, पीताम्बर पासवान, सीताराम सिंह, डॉ0 शंकर दयाल सिंह, दुलार चन्द यादव, राम करण सहनी, शशि कुमार राय, देवचंद्र झा, दामोदर सिंह, फारुख शेख, सुचित्रा सेन, नागेश्वर राव, ज्योतिका राय, पाणु उस्ताद, गुरू मकरध्वज दारोधा तथा अमरकांत के अतिरिक्त राजधानी राँची स्थित बड़ा तालाब मे हुई मोटर दुर्घटना, मुम्बई-देहरादून एक्सप्रेस ट्रेन में आग से मृत लोगों, गिरिडीह जिला में हुए नक्सली हमले तथा सर्च अभियान के दौरान मणिपुर में शहीद हुए असम रायफल्स के जवान के प्रति सभा द्वारा शोक-संवेदना प्रकट की गई एवं दो मिनट का मौन रखा गया।

22. <u>सभा का स्थगन</u>

दिनांक	कार्यवाही की अवधि	अन्तराल	स्थगन की अवधि
19.02.2014	11.10 पू0 – 12.15 अप0		11.00 पू0 - 11.10 पू0
20.02.2014	11.05 पू0 – 11.15 पू0		11.15 पू0-11.45 पू0
	11.45 पू0 – 12.00 मध्या0		12.00 मध्या0 - 01.00 अप0
	02.20 अप0 – 02.30 अप0		02.00 अप0 - 02.20 अप0
	04.00 अप0– 04.01 अप0		02.30अप0 - 04.00अप0
21.02.2014	11.00 पू0 - 11.10 पू0	सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार एवं शनिवार को 01.00 अप0 से 02.00 अप0 तक ।	11.10 पू0 – 11.30 पू0
	11.30 पू0 - 11.38 पू0		11.38 पू0 – 11.55 पू0
	11.55 पू0 - 12.27 अप0		12.27 अप0 - 01.00 अप0
	02.10 अप0 - 04.20 अप0		02.00 अप0 - 02.10 अप0
22.02.2014	11.05 पू0 – 12.33 अप0		12.33 अप0 - 01.00 अप0
	02.10 अप0 – 04.10 अप0		02.00 अप0 - 02.10 अप0
24.02.2014	11.05 पू0 – 12.50 अप0		11.00 पू0 - 11.05 पू0
	02.10 अप0 – 02.15 अप0	शुक्रवार को 12.30 अप0 से 2.00 अप0 तक ।	12.50 अप0 - 01.00 अप0
	02.30 अप0 - 05.50 अप0		02.00 अप0 - 02.30 अप0
25.02.2014	11.05 पू0 – 12.57 अप0		11.00 पू0 - 11.05 पू0
	02.15 अप0 – 04.40 अप0		02.00 अप0 - 02.15 अप0
26.02.2014	10.10 पू0 – 11.12 पू0		10.00 पू0 - 10.10 पू0
	11.30 पू0 – 11.38 पू0		11.12 पू0 - 11.30 पू0
	02.10 अप0 – 02.15 अप0		11.38 पू0 - 01.00 अप0
	02.30 अप0 – 02.40 अप0		02.00 अप0 - 02.10 अप0
	03.55 अप0 - 04.00 अप0		02.15 अप0 - 02.30 अप0

			02.40 अप0 - 03.55 अप0
03.03.2014	11.10 पू0 – 01.00 अप0		11.00 पू0 - 11.10 पू0
	02.10 अप0 – 05.00 अप0		02.00 अप0 - 02.10 अप0
04.03.2014	11.10 पू0 – 01.00 अप0		11.00 पू0 - 11.10 पू0
	02.15 अप0 – 05.50 अप0		02.00 अप0 - 02.15 अप0
05.03.2014	10.10 पू0 – 12.25 पू0		10.00 पू0 – 10.10 पू0
	02.25 अप0 – 04.10 अप0		02.00 अप0 - 02.25 अप0

माननीय अध्यक्ष महोदय के समापन भाषण के साथ ही दिनांक 05.03.2014 को सभा की कार्यवाही अप0 04.10 बजे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई।